कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़–राजस्थान

क्रमांकः–एफ.8भूमि( )2025/9348 दिनांकः–21/02/2025

–: सार्वजनिक सूचना :–

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, संस्था श्री जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन ने प्रार्थना पत्र एवं भूमि आवंटन नीति – 2015 द्वारा निर्धारित प्रपत्र – अ प्रस्तुत कर शिक्षा, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं धर्मशाला के लिए 2500 वर्गमीटर हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की है। ए – ब्लॉक सिविल लाईन, कलेक्टर कार्यालय रोड़ पर 140 गुणा 260 फुट यानि 36400 वर्गफुट यानि 3382.90 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है। जिसके उतर में जांगिड़ समाज सुथार समिति, दक्षिण में 30' फुट रोड, पूर्व में 60' रोड़, पश्चिम में 30' फुट सड़क स्वीकृत है। उक्त भूमि योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्राईमरी स्कुल हेतू आरक्षित है, और मास्टर प्लान में आवासीय एवं जोनल प्लान (जोन संख्या 05) में आवासीय एवं आंशिक मिश्रित पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

उक्त भूमि जागिड़ समाज सुथार समिति को आवंटित भूमि के नजदीक 140 गुणा 260 फिट (प्राईमरी स्कुल हेतू आरक्षित) यानि 36400 वर्गफुट यानि 3382.90 वर्गमीटर भूमि में से पूर्व दिशा में साईज 86 गुणा 140 फुट यानि 12040 वर्गफुट यानि 1118.96 वर्गमीटर श्री जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन को शिक्षा, समाज सेवा, पर्यावरण सरंक्षण एवं धर्मशाला हेतू आवंटन किया जाना है।

उक्त भूमि का आवंटन संस्था, श्री जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन को शिक्षा, समाज सेवा, पर्यावरण सरंक्षण एवं धर्मशाला हेतू आवंटन के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 15 दिवस में इस कार्यालय को सूचित करे बाद गुजरने मियाद उक्त भूमि संस्था को भूमि आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

आयुक्त/प्रभारी अधिकारी
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ8/भूमि/2025/ दिनांक :–

प्रतिलिपि – वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड, नगरपरिषद् हनुमानगढ़।
2. उप–कार्यालय नोटिस बोर्ड, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ जंक्शन।
3. श्री सलीम खान, कम्प्युटर ऑपरेटर को आदेशित किया जाता है कि उक्त सर्वजानिक सूचना परिषद की वेबसाईट पर डालें (अपलोड करे) तथा प्रकरण के सम्बंध प्राप्त आपत्तियॉ अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
4. अध्यक्ष, संस्था श्री जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आपत्ति सूचना का प्रकाशन किसी अधिकृत राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आयुक्त/प्रभारी अधिकारी
नगरपरिषद् हनुमानगढ़